भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *263

उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

5जी केबल के कारण पेयजल पाइपलाइनों को क्षति

***263. श्री शेर सिंह घुबायाः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब के फिरोजपुर, गुरु हर सहाय, फाजिल्का, मलोट, अबोहर और श्री मुक्तसर साहिब क्षेत्रों में मोबाइल कंपनियों द्वारा 5जी केबल बिछाने के दौरान पेयजल पाइपलाइनों को हुई क्षति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में पेयजल पाइपलाइनों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"5जी केबल के कारण पेयजल पाइपलाइनों को क्षति'' के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 के भाग (क) से (ग) के संदर्भ में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) और (ख) सीबीयूडी प्लेटफार्म पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, दूरसंचार प्रचालकों द्वारा ऐसे उत्खननों के संबंध में कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं जो सूचित नहीं किए गए हैं। हालांकि, पेयजल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा दूरसंचार केबल बिछाने के दौरान पेयजल पाइपलाइनों को किसी भी तरह की क्षति के संबंध में प्लेटफॉर्म पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

(ग) सरकार ने पेयजल पाइपलाइनों और अन्य भूमिगत सुविधाओं को होने वाली क्षति को रोकने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

(i) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 ("आरओडब्ल्यू नियम") बनाया गया है ताकि सार्वजनिक संस्थाओं को मार्ग का अधिकार अनुमति प्रदान करते समय अपने निबंधन और शर्तों को निर्दिष्ट करने और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ii) किसी भी खुदाई से पहले उत्खनन एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता परिसंपत्ति मालिकों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करने और ऑप्टिकल फाइबर केबल, पेयजल पाइपलाइन, बिजली के केबल और गैस पाइपलाइन आदि जैसी भूमिगत उपयोगिता अवसंरचना को आकस्मिक क्षति से बचाने के लिए कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों (यूटी) से अनुरोध किया है कि वे विभिन्न विभागों और एजेंसियों, जैसे लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकायों और जल, गैस और बिजली उपयोगिताओं द्वारा सीबीयूडी मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य करें, जिसके अनुसार

पंजाब सरकार ने राज्य के भीतर सभी विभागों द्वारा इस तरह के उपयोग को अनिवार्य करते हुए दिनांक 07.02.2025 को एक अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सभी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों और केंद्र सरकार के अवसंरचना संबंधित मंत्रालयों से भी अनुरोध किया है कि वे सीबीयूडी मोबाइल ऐप की प्रभावशीलता और उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएम गतिशक्ति) प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिगत उपयोगिता परिसंपत्तियों को मैप करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

(iii) उपर्युक्त अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित दूरसंचार नेटवर्क को क्षति के मामले में मुआवजे का भी प्रावधान है और आरओडब्ल्यू नियमों में मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। दूरसंचार विभाग द्वारा सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे किसी एजेंसी या ठेकेदार द्वारा उत्खनन के कारण उनकी परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में राज्य में विभागों और एजेंसियों की भूमिगत उपयोगिताओं को हुई क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए आरओडब्ल्यू नियमों की तर्ज पर एक सरकारी आदेश जारी करें।

*****